रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 505] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 20, 1985/कार्तिक 29, 1907

No. 505] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 20, 1985/KARTIKA 29, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और

लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(प्रशासनिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 1985

अधिसूचना

सा.का.नि. 854(अ) :—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 12, धारा 35 के खंड (च) और धारा 36 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां) नियम, 1985 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) अभिप्रेत है;

(ख) "अध्यक्ष" से अधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ग) "अधिकरण" से केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण अभिप्रेत है।

3. अतिरिक्त न्यायपीठ के उस स्थान से भिन्न किसी स्थान पर अधिवेशन जहां वह सामान्यतया अधिविष्ट होगी :—यदि किसी समय किसी अतिरिक्त न्यायपीठ के उपाध्यक्ष का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिसमें यह आवश्यक है कि उक्त न्यायपीठ को उसकी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर आने वाले किसी स्थान पर, जो उस स्थान अथवा स्थानों से भिन्न

है जहां वह सामान्यतया अधिविष्ठ होती है, अधिविष्ठ होना आवश्यक है तो वह अध्यक्ष की पूर्व-सहमति से निदेश दे सकता है कि अतिरिक्त न्यायपीठ अपने अधिवेशन ऐसे किसी उपयुक्त स्थान पर करे ।

4. अध्यक्ष को शक्तियां :—अध्यक्ष की वही शक्तियां होंगी जो वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1978, साधारण वित्तीय नियम, 1963, मूल और अनुपूरक नियम, केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972, केन्द्रीय सिविल सेवा (कार्यग्रहण अवधि) नियम, 1979, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972, केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 और साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियम, 1960 की बाबत केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग को प्रदत्त की गई है :

परन्तु इन शक्तियों का प्रयोग सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए किन्हीं प्रतिक्रियात्मक या अन्य अनुदेशों के अधीन रहते हुए किया जाएगा :

परन्तु यह और कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट मदों की बाबत शक्तियों का प्रयोग करते समय कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सहमति अभिप्राप्त की जाएगी ।

[सं. ए-12018/5/85-ए. टी.]

श्रीमती पि. वी. वत्सला जी कुट्टी, अवर सचिव

अनुसूची

वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम

1. असाधारण प्रकृति के समाश्रित/प्रकीर्ण व्यय उपगत करने का या जहां विहित मानकों/शर्तों को शिथिल करने की आवश्यकता है वहां, प्रस्ताव ।
2. साधारण या विशेष आदेशों के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक मामले में 20,000 रुपए अनावर्ती और 5,000 रुपए आवर्ती प्रतिवर्ष से अधिक के समाश्रित व्यय को उपगत करने के सभी प्रस्ताव ।
3. मनोरंजनों, ज[illegible]त शाम के और दोपहर के भोजन भी हैं, पर व्यय उपगत करने के सभी प्रस्ताव जो सरकार के साधारण या विशेष आदेश के अन्तर्गत नहीं आते ।
4. स्टोरों की विमान-ढुलाई और डेमरेज प्रभार जिसके अन्तर्गत स्टोरों का बीमा भी है, सिवाए उनके जब वे साधारण या विशेष आदेश के अन्तर्गत आते हैं ।
5. भूमि अर्जन ।
6. कार्यालय और आवासीय भवनों को किराए पर देना ।
7. स्कीमों या परियोजनाओं पर व्यय (वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1978 का नियम 18) ।
8. व्यापारिक संक्रियाएं ।
9. लोक भवनों का विक्रय या तोड़ा जाना, यदि उनका बही मूल्य 20,000 रुपए से अधिक हो ।
10. अपात्र अधिकारियों को आवासीय टेलीफोन देना ।
11. मांगपत्र, संविदाएं और क्रय (वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1978 का नियम 21)—विद्यमान शक्तियों से अधिक प्रस्ताव ।
12. पदों का सृजन ।
13. पुनर्विनियोग ।

साधारण वित्तीय नियम

1. नये कार्यालयों के लिए स्थायी अग्रिम की मंजूरी ।
2. प्रत्यायोजित शक्तियों के परे, स्टोरों की आपूर्ति के लिए प्राइवेट फर्मों को अग्रिम देना ।
3. किसी मद को प्रतिहस्ताक्षरित समाश्रित व्यय घोषित करना ।

मूल नियम और अनुपूरक नियम

1. दो पदों के उत्तरदायित्व की पारस्परिक महत्ता के बारे में घोषणा ।
2. मूल नियमों और अनुपूरक नियमों/वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमों के प्रयोजन के लिए विभागाध्यक्षों की घोषणा ।
3. ऐसा निवृत्त सरकारी सेवक के किसी अनुमोदित वेतनमान वाले पद में नियोजन के लिए वेतन का नियतन, यदि ऐसा वेतन पद के न्यूनतम वेतन से उच्चतर अनुक्रम पर नियत करने का प्रस्ताव है या जहां जहां वेतन और पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति फायदे जोड़ने पर अन्तिम बार लिए गए वेतन से अधिक हो जाता है ।
4. समय पूर्व वेतन वृद्धि की मंजूरी ।
5. केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के किसी नियम की अपेक्षाओं को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में शिथिल करना ।
6. भारत के बाहर, जिसके अन्तर्गत पड़ोसी देश भी है, प्रतिनियुक्तियां ।
7. सरकारी सेवक को, जो किसी विदेशी प्रतिनिधिमंडल/अति महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ सम्पर्क अधिकारी के रूप में जा रहा हो, यात्रा या अन्य व्यवस्थाओं का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करना जो भारत के बाहर भोजन और आवास के रूप में प्रदान किए जाते हैं ।

8. संसद सदस्य या राज्य विधान मंडल के सदस्य या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्ति न्यायाधीश से भिन्न गैर सरकारी व्यक्ति को वातानुकूलित रेल या हवाई जहाज से यात्रा करने की इजाज़त देना ।

9. नियमों के अधीन अनुज्ञेय कार्यग्रहण अवधि को 30 दिन की अधिकतम अवधि से आगे बढ़ाना ।

10. किसी स्थानीय निधि के अधीन पूर्व-सेवा की सरकारी सेवा में कार्य के रूप में गणना के लिए इजाज़त देना ।

11. अपात्र अधिकारियों द्वारा विमान यात्रा ।

12. पुनर्नियोजित पेंशनर को अन्तिम वेतन नियत होने तक अनंतिम संदाय प्राधिकृत करना ।

13. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं. एफ (6)23-ई-II/62, तारीख 22-6-1962 में प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार वेतन, आदि नियत करना ।

14. अध्ययन छुट्टी की मंजूरी ।

15. प्रत्येक मामले में एक हजार रुपए से अधिक मानदेय की मंजूरी । आवर्ती मानदेय की दशा में यह परिसीमा किसी एक वित्तीय वर्ष में किसी एक व्यक्ति को किए गए आवर्ती संदायों के योग को लागू होती है ।

प्रकीर्ण 1

1. दुर्विनियोग, गबन आदि के कारण खो गई रकम, जो सरकार के प्रति दावों के संवितरण के लिए अपेक्षित है और जिन उपगत हानियों का वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1978 की अनुसूची 7 के उपबन्धों के अनुसार अपलिखित करना सक्षम अधिकारी की शक्ति के परे है, निकालना ।

2. बकाया दावों के संदायों के लिए तदर्थ मंजूरी ।

3. भारत के बाहर अन्यत्र सेवा में प्रत्यायोजन के मामले ।

4. निशुल्क आवास सुविधा की मंजूरी ।

5. अत्यावश्यक मामलों में 5,000 रुपए प्रति वर्ष से अधिक के मुद्रण कार्य का प्राइवेट मुद्रणालयों के माध्यम से निष्पादन ।

6. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा विहित दरों से 15 प्रतिशत ऊपर की दरों पर वर्दी कपड़ा आदि का क्रय ।

7. ऐसे वाहनों का क्रय जिनके लिए बजट में उपबन्ध नहीं किया गया है और स्टाफ कार तथा आयातित वाहनों का क्रय ।

MINISTRY OF PERSONNEL & TRAINING, ADMINISTRATIVE REFORMS AND PUBLIC GRIEVANCES AND PENSION

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 20th November, 1985

NOTIFICATION

G.S.R. 854(E).—In exercise of the powers conferred by section 12, clause (f) of section 35 and clause (a) of Section 36 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985) the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement : (1) These rules may be called the Central Administrative Tribunal (Financial and Administrative Powers) Rules, 1985.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Definitions : In these rules, unless the context otherwise requires,

(a) "Act" means the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985);

(b) "Chairman" means the Chairman of the Tribunal.

(c) "Tribunal" means the Central Administrative Tribunal.

3. Sittings of an additional Bench at place other than the place where it shall ordinarily sit : If at any time the Vice-Chairman of any additional Bench is satisfied that circumstances exist which render it necessary to have sittings of the said Bench at any place falling within its territorial jurisdiction, other than the place or places at which it ordinarily sits, he may with the previous consent of the Chairman direct that the Additional Bench shall hold its sittings at any such appropriate place.

4. Powers of Chairman.—The Chairman shall have the same powers as are conferred on a Department of the Central Government in respect of Delegation of Financial Powers Rules, 1978, General Financial Rules, 1963, Fundamental and Supplementary Rules, Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, Central Civil Services (Joining Time) Rules, 1979, Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964, Central Civil Services (Classification, Control and Appeal), Rules, 1965 and General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960.

Provided that the exercise of these powers shall be subject to any procedural or other instructions issued from time to time by the Government;

Provided further that in the exercise of powers in respect of items specified in the Schedule, the concurrence of the Department of Personnel & Training in

the Ministry of Personnel & Training, Administrative Reforms & Public Grievances and Pension shall be obtained.

[No. A-12018|5|85-AF]

SMT. P. V. VALSALA G. KUTTY, Under Secy.

SCHEDULE

Delegation of Financial Power Rules

1. Proposals to incur contingent|Miscellaneous expenditure of unusual character or where prescribed scales|conditions are required to be relaxed.
2. All proposals to incur contingent expenditure exceeding Rs. 20,000 non-recurring in each case and Rs. 5,000 recurring per annum in each case not covered by general or special orders.
3. All proposals to incur expenditure on entertainments including dinners and luncheons not covered by general or special orders of Government.
4. Air-lifting of stores and demurrage charges, including insurance stores except when covered by general or special orders.
5. Land acquisition.
6. Renting of Office and residential buildings.
7. Expenditure on schemes or projects (Rule 18 of DFP Rules, 1978).
8. Trading operations.
9. Sale or dismantlement of public buildings, if the book value exceeds Rs. 20,000.
10. Residential telephones to non-entitled officers.
11. Indents, contracts and purchases (Rule 21 of DFP Rules, 1978)—Proposals in excess of the existing powers.
12. Creation of posts.
13. Re-appropriation.

GENERAL FINANCIAL RULES

1. Sanction of permanent advances to new offices.
2. Advances to private firms for supply of stores beyond delegated powers.
3. Declaring an item as countersigned contingent expenditure.

FUNDAMENTAL RULES AND SUPPLEMENTARY RULES

1. Declaration as to relative degree of responsibility of two posts.
2. Declaration of Heads of Departments for the purpose of FRs and SRs|DFP Rules.
3. Fixing the pay of a retired Government servant employed in a post carrying a sanctioned scale of pay, if pay is proposed to be fixed at a stage higher than the minimum of the scale of the post or where the pay plus pension and other retirement benefits exceed the last pay drawn.
4. Granting of premature increments.
5. Relaxing the requirements of a rule in the CCS (Leave) Rules, 1972 under special circumstances.
6. Deputations abroad, including to the neighbouring countries.
7. Permitting a Government servant accompanying a foreign delegation|VIP as Liaison Officer, to avail of the same travel or the same arrangement at outstation for boarding and lodging as provided.
8. Allowing non-official other than a Member of Parliament or State Legislature or a retired High Court or Supreme Court Judge to travel by ACC or by air.
9. Extending the joining time admissible under the Rules beyond the maximum of 30 days.
10. Allowing previous service under a local fund to count as duty in Government service.
11. Air Travel by non-entitled officers.
12. Authorising provisional payment to re-employed pensioner pending fixation of final pay.
13. Fixation of pay etc. in terms of the powers delegated in GIMF OM No. F. (6) 23-E. III|62 dated 22-6-62.
14. Grant of Study Leave.
15. Sanction of honorarium exceeding Rs. 1000 in each case. In the case of recurring honoraria this limit applies to the total of the recurring payment made to an individual in a financial year.

MISCELLANEOUS

1. Redrawal of amount lost through misappropriation, defalcation, embezzlement etc. required for disbursement of claims against Government beyond the power of authority competent to write off the losses in question in terms of the provisions of Schedule VII of the Delegation of Financial Powers Rules, 1978.

2. Ad-hoc sanction for payment of arrear claims.

3. Cases of deputation on Foreign Service outside India.

4. Sanction of rent-free accommodation.

5. Execution of printing work through private presses in emergent case exceeding Rs. 5,000 per annum.

6. Purchase of uniform cloth etc. at the rates in excess of 15 per cent over the rates prescribed by the Department of Personnel & Training.

7. Purchase of vehicles for which no budget provision exists and purchase of Staff Car and imported vehicles.

1119 GI/85—2

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985